FORM No. iii

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर

अज अदालत.....मुकाम.....

.....**सुन्दरलाल**.....बनाम.....**सरकार**.....

किस्म मुकदमा.....223 आर.टी.एक्ट.....नं.....**108**.....सन्.....**2018**.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है अतः सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज पंजिका की जावे। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प बहादुरपुर के निर्णय दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी ग्राम बहादरपुर पट्टी कटला तहसील व जिला अलवर में स्थित है। अपीलांट का पिता/दादा संवत 2001 से विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है।संवत 2047 तक कस्टोडियन का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। संवत 2047 में गलत तरीके से सरकार के साथ कस्टोडियन शब्द जोडा गया है।विवादित आराजी कभी कस्टोडियन की आराजी नही रही क्योंकि अनवर वगैरा कभी पाकिस्तान गये ही नही हिन्दुस्तान में ही रहे। अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 के बुजुर्गों ने अपने–अपने हिस्से की आराजी को बैंक में रहन भी रखी थी जो फक करा ली।फक रहन का इन्द्राज भी हो चुका है। इस प्रकार साबित है कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार हैं लेकिन कागजात माल में गैरखातेदारी का इन्द्राज बने रहने से अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंटान को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है जिनकी गैर मौजूदगी में दिनांक 17.05.2018 को कैम्प में अपीलांट का दावा खारिज किया गया है जबकि अपीलांट को अदालत में बराबर आगामी पेशी दी जा रही थी। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी। (2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। तहत अदालत द्वारा प्रार्थी को एडमिनिस्ट्रेशन आफ एवेक प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। अतः प्रथम तो लोक अदालत के बिन्दु पर हम उक्त अपील में कोई आदेश देना उचित नहो समझते हुये उक्त अपील को तहत अदालत में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट जब भी कस्टोडियन भूमि के पटटे हेतु आवेदन करे,तहत अदालत उनके आदेश दिनांक 17.05.2018 बउनवान सरकार बनाम सुन्दरलाल मु0 नं0 1/156 में दिये गये निर्देशानुसार, नियमानुसार कार्यवाही करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	